जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-27.04.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्ला माजरा में ट्यूबवैल/नलकूप चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी में प्रयुक्त उपकरण, तांबे का तार व मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 09.04.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्ला माजरा में अज्ञात चोरो द्वारा टयूबवैल/नलकूपो से तार चोरी की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा झिंझाना पुलिस को घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चोरी/लूट की घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्ला माजरा में टयूबवैल/नलकूप चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में ऊन रोड़ पर स्वामी कल्याण देव स्कूल के पास से घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। मुठभेड में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त उपकरण, तांबे का तार व एक मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुयी है। घायल को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया है बाद उपचार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जायेगा। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया है जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.उमरदराज उर्फ काला पुत्र नूसा निवासी ग्राम बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध एक तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.घटना में प्रयुक्त उपकरण (प्लास व दरांती)।

3.तांबे का तार करीब 1.5 किलोग्राम।

4.एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उमरदराज उर्फ काला उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 720/2010 धारा 414 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 763/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 541/2011 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 56/2013 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
5.मु0अ0सं0 निल/2013 धारा 102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
6.मु0अ0सं0 10/2019 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
7.मु0अ0सं0 88/2020 धारा 3/8 गौवध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
8.मु0अ0सं0 346/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
9.निवारक कार्यवाही संख्या 74/2020 धारा 03 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
10.मु0अ0सं0 216/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
11.मु0अ0सं0 217/2021 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
12.मु0अ0सं0 371/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
13.निवारक कार्यवाही संख्या 52/2021 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना झिंझाना जनपद शामली।
14.मु0अ0सं0 155/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
4.है0का0 प्रदीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
5.है0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामली।
6.है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
7.है0का0 मुकेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
8.है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
9.है0का0 मनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
10.का0 शान्तनु थाना झिंझाना जनपद शामली।
11.का0 सुमित नागर थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रोला चोरी करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी हुआ ट्रोला व चोरी की घटना में प्रयुक्त टैक्टर व कब्जे से अवैध 02 चाकू बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.04.2025 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा ट्रोला चोरी कर लेने के सम्बन्ध में वादी श्री अजय कुमार पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली ने उपरोक्त चोरी की घटना का अनावरण हेतु थानाध्यक्ष थाना बाबरी को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, स्नैचिंग की घटना में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रोला चोरी करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 चोरों को पीके रोड़ पर हाइवे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी किया हुआ ट्रोला व चोरी की घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर व 02 अवैध चाकू बरामद हुए है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अन्य 02 अभियुक्तगण जावेद उर्फ काला पुत्र इन्तजार व खुशीमुदीन उर्फ खुशी पुत्र शौकीन निवासीगण ग्राम सोन्टा रसुलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई है तथा अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ मे आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपरोक्त चोरी की घटना करना बताया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अनस पुत्र अलताफ निवासी ग्राम सौन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मनव्वर पुत्र इकराम निवासी मौहल्ला अलखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ 01 ट्रोला।

2.चोरी की घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर आयशर 333 बरामद।

2.अवैध 02 चाकू।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः

1.थानाध्यक्ष श्री राहुल कादयान थाना बाबरी जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री राकेश सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री सुनील सिंह वर्मा थाना बाबरी जनपद शामली।

4.है0का0 सुधीर गिरि थाना बाबरी जनपद शामली।

5.का0 सचिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

6.का0 हातम थाना बाबरी जनपद शामली।

एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना कांधला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत सेल्समैन के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट की घटना में लिप्त 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे हुए 6500 रुपये नगद व अवैध तमंचा व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 17.04.2025 को श्री गुलवीर मलिक पुत्र देवी सिंह हाल निवासी ग्राम लिसाढ़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली जो शराब सेल्समैन है अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर जा रहा था। कि रात्रि करीब 21.50 बजे रेलवे फाटक कांधला से बुढाना रोड़ ग्राम अट्टा के पास अज्ञात अभियुक्तो द्वारा हमला कर नगदी लूट ली गई थी। घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैराना के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना कांधला पुलिस की संयुक्त कार्यावाही में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत सेल्समैन के साथ रेलवे फाटक कांधला से बुढाना रोड़ ग्राम अट्टा के पास हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट की घटना में लिप्त 01 शातिर अभियुक्त को चैंकिग दौरान फतेहपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के कब्जे से लूटी हुई नगदी 6500 रुपये व अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। यथाशीघ्र गिऱफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का उद्देश्यः- अभियुक्त अनिकेत उर्फ अनी उर्फ कट्टा पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्रांम डूगर थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर ने बताया कि गुलबीर मलिक उर्फ रोमी से उधार शराब न देने को लेकर हमारा पहले भी विवाद हुआ था दिनांक 17.04.2025 को शाम को मै व मेरा साथी चाँदवीर उर्फ युवी तथा एक व्यक्ति जिसके बारे मे चाँदवीर उर्फ युवी जानता है, हम तीनो ग्राम भभीसा मे ठेके के सामने अन्धेरे में खडे होकर गुलबीर मलिक उर्फ रोमी के ठेके से जाने का इन्तजार कर रहे थे कुछ समय बाद जैसे ही गुलबीर मलिक उर्फ रोमी ठेके से कांधला की तरफ अपनी मोटरसाइकिल से चला तो हम तीनो ने भी चाँदवीर की मोटरसाइकिल से गुलबीर उर्फ रोमी को पीटने के इरादे से पीछा किया हमें अट्टा गांव तक मौका नही मिला। अट्टा गांव से निकलने के बाद रेलवे फाटक से कुछ पहले हमने अपनी मोटरसाइकिल को गुलबीर मलिक उर्फ रोमी की मोटरसाइकिल मे लात मार दी जिससे गुलबीर मलिक उर्फ रोमी अपनी मोटरसाइकिल से अनियन्त्रित होकर गिर गया गिरने के बाद हमने उसके

साथ मारपीट की और उसके पास मौजूद 46000 रुपये की नगदी लूट ली। लूटे गये रुपयो मे से 16000 रुपये मैने ले लिये तथा पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपये उन दोनो को दे दिये थे ये 6500 रुपये लूट के उन्ही रुपयो मे से बचे है शेष रुपये मैने खर्च कर दिये है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपरोक्त लूट की घटना करना बताया है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अनिकेत उर्फ अनी उर्फ कट्टी पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम डूंगर थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1-मु0अ0सं0-170/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 45/22 धार 307/323/504 भादवि थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

3.मु0अ0सं0 46/22 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटे हुए 6500 रुपये की नगदी।

2.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री क्षितिज कुमार सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री समयपाल अत्री प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री फतेह सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद शामली।

4.व0उ0नि0 श्री सुभाष सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

5.उ0नि0 श्री योगेन्द्र शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

6.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

7.है0का0 नरेश कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

8.है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

9.है0का0 संचित कुमार थाना कांधला शामली।

10.का0 सूर्य प्रताप सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 27.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राजेन्द्र उर्फ सिंगल पुत्र जगमेहर हरिजन निवासी ग्राम करमू खेडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 पव्वे देशी शराब बरामदः-

दिनांक 26.04.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 20 पव्वे देशी शराब यूपी (मार्का) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सलमान पुत्र नईम निवासी मौहल्ला घेर कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 20 पव्वे यूपी (मार्का)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 अंकुर निर्वाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.का0 प्रवेज थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 05 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 27.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 05 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मुरसलीन पुत्र हकीमू निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 अरूण कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 05 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 27.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 05 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नाजिम पुत्र कसीम निवासी वार्ड 11 थाना किला जंक्शन पानीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 अरूण कुमार थाना कैराना जनपद शामली।